

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा।

परमिशन वाद सं०-.....31...../2016-17

Online
कोडरमा

प्रसंग...पार्वती देवी.....बनाम...श्री. मंत्री देवी देवी.....

2.3.17

आवेदक श्री. पार्वती देवी.....प्रिता/पति...र. रा. अनन्दी.....
ग्राम...उत्सवा इन्द्रा.....पो०.....थाना...तिलैया.....
जिला-कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा.....
46(1)(b) के तहत मौजा...उत्सवा.....वार्ड नं०.....
थाना नं०...245.....थाना...तिलैया.....जिला-कोडरमा के खाता
नं०.....60.....प्लॉट नं०...996, 997, 1040, 1182, 1221, 1242, 1839, 1839, 1831, 1918
भूमि श्री. मंत्री देवी देवी.....प्रिता/पति...दुपलाल.....
ग्राम...इन्द्रा इन्द्रा.....पो०.....थाना...तिलैया.....
जिला-कोडरमा के नाम से बिक्री करने हेतु आवेदन दाखिल
किया गया है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति जाँच
प्रतिवेदन के निमित्त अंचल अधिकारी,.....कोडरमा.....को भेजे।
साथ ही साथ आम ईशतेहार निर्गत करें। जाँच प्रतिवेदन एवं
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अभिलेख उपस्थापित करें।

02/3/17
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।

उक्त वाद को अग्रोवर कार्रवाई हेतु
सहम पहायिचरी के कार्यालय में हस्तांतरित
किया जा रहा है।

28.11.17
L.R.D.C